UPAU010038852026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

उपस्थितः–**पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)** J.O. Code UP–2391

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**1048/2026**

अल्का उर्फ भूरी पत्नी सुखवीर निवासी ग्राम जरूहौलिया थाना व जिला औरैया।

..... **प्रार्थिनी/अभियुक्ता**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–456/2026

धारा–109, 333, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस.

थाना–औरैया, **जनपद** औरैया

दिनांकः 05.08.2026

1. प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **1048/2026** प्रार्थिनी/अभियुक्ता **अल्का उर्फ भूरी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **456/2026** अन्तर्गत धारा **109, 333, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस.**, थाना **औरैया**, जनपद औरैया के मामले में अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी राममूरत सिंह पुत्र स्व० द्वरिका सिंह निवासी ग्राम जरुहौलिया थाना कोतवाली जिला औरैया का मूल निवासी है। दिनांक 08.07.2026 को समय करीब सुबह 07.30 मिनट बजे वह अपने जानवरों के घेरे में दूध लेकर अपनी पत्नी लज्ञा देवी के साथ घर आ रहा था तभी घर के सामने बनी नाली में सुखवीर की पत्नी अल्का उर्फ (भूरी) कचरा बहा रही थी तो उसने कहा अभी सफाई करके गया है वह फिर कचडा उसकी तरफ बहा दे रही है इतनी सी बात को लेकर सुखबीर पुत्र श्यामबाबू व गम्भीर सिंह उर्फ छुन्ना पुत्र स्व० श्यामबाबू व अल्का उर्फ भूरी पत्नी सुखबीर सिंह निवासीगण जरहौलिया कोतवाली औरैया एक राय होकर आये और उसे व उसकी पत्नी को गाली गलौच करने लगे गाली देने से मना करने पर इन लोगो ने उसे व उसकी पत्नी को जमीन पर गिराकर लाठी व डण्डो से मारपीट की जिससे उसके व उसकी पत्नी को गम्भीर चोटे आयी मौके से यह लोग जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मुकदमे में वादी राममूरत सिंह ने प्रार्थिनी तथा उसके पति सुखवीर व देवर गंभीर सिंह के विरुद्ध धारा 115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस० का मुकदमा पंजीकृत कराया था, परन्तु फिसलकर गिरने से अपनी चोटों की फर्जी डाक्टरी कराकर प्रार्थिनी व उसके परिवार वालों को झूठा फंसाया गया है। अभियोजन कहानी के अनुसार, "प्रार्थी राममूरत सिंह पुत्र स्व० द्वारिका सिंह निवासी ग्राम जरुहौलिया थाना कोतवाली औरैया जिला औरैया का निवासी हूं। आज दिनांक 08.07.2026 को समय करीब सुबह 7:30 मिनट बजे मैं अपने जानवरों के घेरे से दूध लेकर अपनी पत्नी लज्ञा देवी के साथ घर आ रहा था तभी घर के सामने बनी नाली में सुखवीर की पत्नी अल्का उर्फ भूरी कचरा बहा रही थी तो मैंने कहा अभी सफाई करके आया हूं तुम फिर मेरी तरफ कचरा बहा दे रही हो, इतनी सी बात को लेकर सुखवीर पुत्र श्यामबाबू व अल्का उर्फ भूरी पत्नी सुखवीर सिंह निवासीगण ग्राम जरुहौलिया, थाना कोतवाली औरैया एकराय होकर आये और मुझे व मेरी पत्नी को गाली–गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर इन लोगों ने मुझे व मेरी पत्नी को जमीन पर गिराकर लाठी डंडो से मारपीट की जिससे मुझे व मेरी पत्नी को गंभीर चोटें आयी। मौके से यह लोग जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।" उसने दिनांक

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.08.05 15:57:31 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

08.07.2026 को ही थाना औरैया में चचिया ससुर राममूरत व चचिया सास लज्ञा देवी गाली–गलौज व मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के कारण प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु पुलिस ने राममूरत के दबाव में आकर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। उसके द्वारा चचिया ससुर राममूरत सिंह और चचिया सास लज्ञा देवी के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी है। इसीलिए घटना का कोई साक्षी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बरसात में फिसल जाने के कारण उसके शरीर में आयी हुयी चोटों का फायदा उठाकर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। उसको थाना औरैया की पुलिस बेइज्ञत व अपमानित करना चाहती है। वह एक घरेलू कामकाजी महिला है और वह बीमार रहती है इसलिए उसे धारा 480 B.N.S.S. का लाभ दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है, क्योंकि उसका पारिवारिक मामला है और उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपनी ओर से विश्सनीय अग्रिम जमानत बंधपत्र देने को तैयार है तथा ता दौरान विचारण मुकदमा व विवेचना में अग्रिम जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगी एवं पुलिस का सहयोग करेगी और न्यायालय द्वारा दी गयी सभी शर्तों का अक्षरशः पालन करेगी। अतः उसको दौरान / विवेचना विचारण मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी की गाली गलौज की गयी जब वादी मुकदमा ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्ता ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को जमीन पर गिराकर लाठी व डण्डो से मारपीट की जिससे वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को गम्भीर चोटे आयी। मौके से अभियुक्ता सहअभियुक्तगण के साथ जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गयी। अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाना चाहिए।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी की गाली गलौज करने एवं वादी मुकदमा के गाली देने से मना करने पर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को जमीन पर गिराकर लाठी व डण्डो से मारपीट करके गम्भीर चोटे पहुंचाने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना वाले दिन ही दर्ज करा दी गयी थी। सी.डी. 1 के पेज नम्बर 9 पर वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्ता का नाम अपने बयान में लिया गया है। पत्रावली पर चोटिल राममूरत सिंह की चिकित्सक आख्या मौजूद है जिसमें चोटिल राममूरत सिंह को निम्न चोटे आना वर्णित है–1. LACERATED WOUND OF SIZE 6CM X 0.5CM X BONE DEEP ON LEFT SIDE OF HEAD 6.5CM ABOVE FROM LEFT EAR PINNA, BLEEDING PRESENT. INJURY KEPT UNDER OBSERVATION AND ADVISED X–RAY HEAD. 2. LINEAR ABRASION OF SIZE 12CM ON LEFT SIDE LOWER BACK 6CM ABOVE 2 FROM ILIAC CREST. 3. REDDISH CONTUSION OF SIZE 4CM X 3CM ON DORSAL ASPECT OF LEFT FOREARM 2CM ABOVE FROM LEFT WRIST JOINT 4. LINEAR ABRASION OF SIZE 2CM ON DORSUM OF LEFT HAND. 5. BLEEDING FROM LEFT EAR INJURY KEPT UNDER OBSERVATION AND REFER 5 TO ENT SURGEON. **Nature of Injuries (Simple, Grievous, Dangerous or pending for observation)**–INJURY No1, No5 KEPT UNDER OBSERVATION, ALL OTHER INJURIES ARE SIMPLE IN NATURE. **Probable Duration of Injury–** FRESH. **Kind of Weapon Used (Sharp, Blunt, Firearm, Fire, Poison etc)**–INJURY No1 & No4 ARE CAUSED BY FRICTION AGAINST HARD SURFACE. ALL OTHER INJURIES ARE CAUSED BY HARD & BLUNT OBJECT. एवं चोटिल राममूरत सिंह की सी.टी. स्कैन रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है जिसमें वर्णित है कि– Cerebral hemisphere are normal. Grey and white matter differentiation is maintained. Brain stem and cerebellar hemispheres appear normal. No intracranial Bleed / Contusion noted. Basal cisterns are well seen and appears normal. Sylvian fissures and sulcal spaces appear normal. IIIrd and IVth ventricles are in midline. No ventricular dilatation, distortion or midline displacement is noted. No obvious focal infarct,

Hemorrhage, space occupying lesion noted in supra or infra tentorial region. Visualized paranasal sinuses, orbits and mastoid appear normal. **IMPRESSION–**Fracture noted at left parietal bone extending up to mastoid part of left temporal bone with hemomastoideum with soft tissue swelling around. पत्रावली पर चोटिल लज्ञा देवी की चिकित्सक आख्या मौजूद है जिसमें चोटिल लज्ञा देवी को निम्न चोटे आना वर्णित है–1. LACERATED WOUND OF SIZE 7X0.7 C.MX BONE DEEP ON LEFT SIDE OF HEAD 7 C.M ABOVE FROM LEFT EAR WITH CONTUSION OF SIZE 9X9 C.M AROUD THE WOUND FRESH BLEEDING PRESENT INJURY KEPT UNDER OBSERVATION ADV XRAY HEAD. **Nature of Injuries (Simple, Grievous, Dangerous or pending for observation)–**INJURY KEPT UDER OBSERVATION ADV XRAY HEAD. **Probable Duration of Injury–**FRESH. **Kind of Weapon Used (Sharp, Blunt, Firearm, Fire, Poison etc)–**HARD AND BLUNT OBSERVATION. एवं चोटिल लज्ञा देवी की सी.टी. स्कैन रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है जिसमें यह वर्णित है कि –**Soft tissue injury seen in left fronto parietal region with subcutaneous emphysematous changes seen.** Cerebral hemisphere are normal. Grey and white matter differentiation is maintained. Brain stem and cerebellar hemispheres appear normal. Basal cisterns are well seen and appears normal. Sylvian fissures and sulcal spaces appear normal. IIIrd and IVth ventricles are in midline. No ventricular dilatation, distortion or m. iline displacement is noted. No displaced/depressed bony fracture noted at bone window settings. Visualized paranasal sinuses, orbits and mastoid appear normal. **IMPRESSION–**Few foci of hyperdensities in the both frontal lobes – rule out microhemorrhages. पुलिस आख्या में अभियुक्ता के आपराधिक इतिहास का वर्णन नहीं किया गया है परन्तु आपराधिक इतिहास न होना जमानत देने का कारण नहीं हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत देने के लिये न्यायालय का यह समाधान होना आवश्यक है कि अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता क्या है तथा क्या आवेदक को उस अपराध में गिरफ्तार कराकर क्षति पहुॅचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है। यह प्रकरण केवल इस आशंका पर भी आधारित नही है कि अभियुक्ता को क्षति पहुॅचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाकर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। It has been held by Hon'ble Supreme Court in Nikita ... vs The State Of Maharashtra on 21 July, 2025 and in Srikant Upadhyay vs The State Of Bihar on 24 July, 2023 that anticipatory bail is an exceptional remedy and ought not to be granted in a routine manner. There must exist strong reasons for extending indulgence of this extraordinary remedy to a person accused of grave offences. अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अग्रिम जमानत दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता **अल्का उर्फ भूरी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **456/2026** अन्तर्गत धारा **109, 333, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस.**, थाना–**औरैया** जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **1048/2026** न्यायहित में निरस्त किया जाता है।

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया